

भारत सरकार
शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. 11-3-(15)/आर.जी.आर./सी.डी.एन.

दिनांकित: 23.02.99

कार्यालय आदेश सं. 5/99

विषय: दिल्ली/नई दिल्ली में पट्टे की भूमि के संबंध में भूमि किराए का परिशोधन

शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय के दिनांक 29.06.98 के पत्र सं. जे-22011/1/96-एलडी के संदर्भ में, उपरोक्त विषय पर मंत्रालय से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थी। शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय ने अपने दिनांकित 15.02.99 के पत्र सं. जे-22011/1/96-एलडी के जरिये स्थिति स्पष्ट की है, जिसकी छायाप्रति मार्गदर्शन/सूचना एवं सख्त अनुपालनार्थ एतद्वारा संलग्न है।

(वी. श्रीकुमार)
जन संपर्क अधिकारी

सभी अधिकारी/अनुभाग